उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर

पत्रांकः 211 /सी/शाहजहांपुर दिनांक 11 अप्रैल, 2022

समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–बीज गन्ना उत्पादक कृषक के रुप में पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया।

गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के परिपत्र संख्याः 07/सी/विकास अनुभाग दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा बीज अधिनियम–1966 के प्राविधानों को लागू करते हुए बीज गन्ना उत्पादन के लिए मार्ग–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रगतिशील किसान जो बीज गन्ने का उत्पादन कर दूसरे किसानों को विक्रय करने के इच्छुक हैं उन्हें गन्ना विभाग के अन्तर्गत अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

1. आवेदन पत्रः– सम्बन्धित किसान को बीज गन्ना उत्पादक कृषक के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु अपना आवेदन निम्न प्रारूप पर करना होगा–

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहॉपुर।

द्वारा उचित माध्यम।

विषयः बीज गन्ना उत्पादक कृषक के रूप में पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मैं.....
पुत्र/पुत्री.....ग्राम.....जिला.....
का/की एक प्रगतिशील कृषक हूॅ और सहकारी गन्ना विकास समिति लि.....
..... का/की वैधानिक सदस्य हूॅ। पिछले कई वर्षो से मैं गन्ना खेती कर रहा हूॅ/रही हूॅ तथा गन्ना समिति के माध्यम से सम्बन्धित चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करता हूॅ/करती हूॅ। मैं गन्ने की खेती से जुड़ी तकनीकी विधियों से भिज्ञ हूॅ।

मैं गन्ना विकास विभाग द्वारा संस्तुत उन्नत एवं नवीन गन्ना किस्मों का स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज तैयार कर निकटवर्ती कृषकों को विक्रय किये जाने हेतु

प्रमाणित बीज गन्ना विक्रेता बनना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मेरे द्वारा प्रमाणित स्त्रोतों यथा शोध संस्थान/विभाग से गन्ने का बीज प्राप्त कर अपने खेत पर वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों की देख–रेख में बीज गन्ना एवं नर्सरी पौध तैयार की जायेगी। उत्पादित बीज गन्ना/सीडलिंग का विक्रय दूसरे किसानों को गन्ना आयुक्त/उ.प्र. द्वारा निर्धारित दरों पर सुनिश्चित किया जायेगा। मेरे द्वारा आगामी शरदकालीन/बसंतकालीन गन्ना बुवाई वर्ष..... में निम्नानुसार किस्मों का बीज तैयार किया जाना प्रस्तावित हैः–

वास्ते पेराई सत्र .....

क.सं.	**मद**	**शरदकालीन**	**बसंतकालीन**
1	गन्ना किस्म		
2	गन्ना किस्म का क्षेत्रफल		
3	विक्रय हेतु उत्पादित सीडलिंग की प्रस्तावित संख्या (सीडलिंग के रुप में विक्रय हेतु)		
4	उत्पादित बीज की मात्रा (कु.) (गन्ने की मात्रा के रुप में विक्रय हेतु)		

आवेदक
कृषक का नाम .....
पिता का नाम .....
सहकारी गन्ना समिति का नाम .....
कृषक का यू.जी.सी. कोड .....

2. कृषक को अपना उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र एवं इसके साथ आधार की कॉपी, खतौनी की कॉपी एवं नोटरी द्वारा सत्यापित रू.100 के शपथ–पत्र पर विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किये जाने सम्बन्धी स्वघोषणा को साथ में संलग्न करते हुए सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अथवा जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्राप्त आवेदनों को **03 दिवस** के भीतर परीक्षणोंपरान्त जिला गन्ना अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

3. शपथ–पत्र पर स्वघोषणा का प्रारूप निम्नवत् हैः–

मैं .....निवासी.....जिला.....
सहकारी गन्ना विकास समिति लि..... का विधिवत् सदस्य हूँ तथा बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से यह वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा बीज गन्ना विक्रेता के रूप में विभाग द्वारा पंजीकृत किये जाने के उपरान्त स्वीकृत गन्ना किस्मों के बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग का उत्पादन एवं विक्रय उसी किस्म के रूप में ही कृषकों को किया जायेगा जिस किस्म के रूप में यह सम्बन्धित शोध संस्थान/सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया है। मेरे द्वारा उत्पादित बीज गन्ना/गन्ना

सीडलिंग के वितरण पर विक्रय मूल्य के रूप में वही मूल्य क्रेता कृषक से लिया जायेगा, जिसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी (गन्ना आयुक्त, उ.प्र.) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो। किसी किस्म को छद्म रूप से किसी अन्य लोकप्रिय एवं नव विकसित दूसरी किस्म के रूप में बीज गन्ना का विक्रय नही करूँगा। उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत मिलने पर मेरे विरूद्व कार्यवाही के लिए गन्ना विकास विभाग बीज अधिनियम 1966 में वर्णित व्यवस्था तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा।

शपथकर्ता

कृषक का नाम .....

पिता का नाम .....

सहकारी गन्ना समिति कानाम .....

कृषक का यू.जी.सी. कोड .....

नोटरी द्वारा सत्यापित

4. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों को, प्रारम्भिक परीक्षण कराते हुए अपनी संस्तुति सहित निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को पंजीकरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा। यह कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के **03 दिवस** के भीतर पूर्ण की जायेगी।

5. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के स्तर पर पंजीयन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का इस हेतु गठित समिति द्वारा त्वरित परीक्षण किया जायेगा, तद्नुसार पंजीयन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति दी जायेगी। समिति की संस्तुति के अनुसार निम्नानुसार पंजीयन प्रमाण–पत्र **01 सप्ताह** के भीतर निर्गत किया जायेगाः–

उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर

पंजीयन प्रमाण–पत्र

श्री / श्रीमती / सुश्री .....पुत्र / पत्नी / पुत्री .....
निवासी ग्राम– .....गन्ना विकास समिति.....
जिला– .....द्वारा दिये गये आवेदन को स्वीकार करते हुए "बीज गन्ना उत्पादक कृषक" के रूप में पंजीकृत किया जाता है। यह प्रमाण–पत्र निर्गमन की तिथि से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगा।

पंजीयन संख्या .....
निर्गमन तिथि.....

हस्ताक्षर निदेशक

6. बीज गन्ना उत्पादक कृषकों की नर्सरी का यथावश्यकता समय–समय पर निरीक्षण पादप–प्रजनन एवं फसल सुरक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिकों, सम्बन्धित जिला

गन्ना अधिकारी एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा करते हुए बीज की गुणवत्ता का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जायेगा। कम–से–कम एक निरीक्षण बीज वितरण के पूर्व सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया कृषकों द्वारा प्राप्त आवेदनों को उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

11.04.22

(वी.के. शुक्ल)
निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहांपुर

पत्रांकः 211 /सी तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. को उनके परिपत्र संख्याः 07/सी/विकास अनुभाग दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ, 9 ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग–1, उ.प्र. शासन।
5. मिशन निदेशक, रा.खा.सु. मिशन, कृषि भवन लखनऊ।
6. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, गन्ना उत्पादक जिलें, उ.प्र.।
8. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
9. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
10. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ।
11. समस्त, जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
12. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उ.प्र.।

11.04.22

(वी.के. शुक्ल)
निदेशक।